Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

कमला पत्नी धन्नाराम जाति नायक निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल निवासी श्रीडूंगरगढ बनाम केशरदेवी वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 12/**2023** **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.01.2023	आज यह प्रार्थना पत्र कमला ने जरिये श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 312 तादादी 3.07 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्ष रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थी को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 27.03..2023 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.03..2023 को पेश हों । (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
13.3.2023	आज यह पत्रावली वादिनी द्वारा मूल वाद को विड्रो किया जाकर प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस किया जाने पर पेशी में ली गई। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किये जाने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र [illegible] पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] तामील पूर्ति होकर दाखिल [illegible] (हस्ताक्षर)	Not Press (अंगूठा निशानी) [illegible] K.K. Purohit Adv

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.04.05 17:20:24 IST
Reason: SelfAttested